कार्यकारी सारांश

मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए दिल्ली सरकार के लेखापरीक्षित लेखाओं पर आधारित यह प्रतिवेदन राज्य सरकार के वार्षिक लेखाओं का विश्लेणात्मक पुनरीक्षण प्रदान करता है । प्रतिवेदन की संरचना तीन अध्यायों में की गई है ।

अध्याय 1 वित्त लेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित है तथा मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए दिल्ली सरकार के वित्तों का विस्तृत परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है । यह गत पाँच वर्षों के दौरान कुल प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए पिछले वर्ष के कुल मुख्य राजकोषीय संबंधी हो रहे विवेचनात्मक परिवर्तनों का भी विश्लेषण करता है ।

अध्याय 2 विनियोग लेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित है और यह विनियोगों का अनुदान-वार विवरण तथा सेवा प्रदान करने वाले विभागों द्वारा किस प्रकार आबंटित संसाधनों का प्रबंधन किया गया था, दर्शाता है ।

अध्याय 3 31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के दौरान दिल्ली सरकार की विभिन्न वित्तीय नियमावली, कार्यविधियों तथा निदेशों की अनुपालना का विहंगावलोकन है ।

इस प्रतिवेदन के परिशिष्ट में कई स्रोतों से एकत्रित किये गये अतिरिक्त आँकड़े भी निष्कर्षों के समर्थन में संलग्न है ।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

1 राज्य सरकार के वित्त

राजस्व प्राप्तियाँ: राजस्व प्राप्तियाँ ₹ 2630.93 करोड़ (10.51 *प्रतिशत*) से घट गई । कर राजस्व में ₹ 3493.92 करोड़ की वृद्धि हुई, जबकि गैर कर राजस्व और भारत सरकार से अनुदान क्रमशः ₹ 3728.08 करोड़ एवं ₹ 2396.77 करोड़ से घट गए थे । 2007-11 की अवधि में राजस्व प्राप्तियों के संयोजन में महत्वपूर्ण परिवर्तन के साथ वृद्धि की प्रवृत्ति थी । राज्य प्राप्ति में कर राजस्व का अंश 2007-08 में 79.01 *प्रतिशत* से घटकर वर्ष 2010-11 में 65.85 *प्रतिशत* हो गया। 2011-12 के दौरान यह प्रवृत्ति विपरीत हो गई, जब यह 89.19 *प्रतिशत* बढ़ गया। 2011-12 में राजस्व प्राप्तियाँ 2010-11 की राजस्व प्राप्तियों की तुलना में 10.51 प्रतिशत घट गई । समान अवधि में स.रा.घ.उ. की वृद्धि 18.69 प्रतिशत थी ।

राजस्व व्यय का कुल व्यय में अधिक अंश

चालू वर्ष के दौरान ₹ 17964.36 करोड़ का राजस्व व्यय गत वर्ष के व्यय से ₹ 3583.12 करोड़ (24.91 *प्रतिशत*) से आंशिक रूप से बढ़ गया है । 2011-12 के दौरान राजस्व व्यय कुल व्यय (ऋण तथा अग्रिम को छोड़कर) का 81.77 *प्रतिशत* था ।

विकास व्यय पर अपर्याप्त प्राथमिकता :

पूँजीगत व्यय पिछले वर्ष से ₹ 19.47 करोड़ (0.48 प्रतिशत) बढ़ गया । वर्ष 2011-12 के दौरान पूँजीगत व्यय कुल व्यय (ऋणों तथा अग्रिमों को छोड़कर) का 18.23 प्रतिशत था जिससे राज्य द्वारा निधियों के कम उत्पादक आवंटन का पता चलता है ।

निवेश एवं लाभ: 31 मार्च 2012 को सरकार ने ₹ 14655.90 करोड़ सरकारी कंपनियों/निगमों में निवेश किया हुआ था । पिछले तीन वर्षों के दौरान इन निवेशों पर लाभ मात्र 0.33 *प्रतिशत* था जबकि 2009-2012 के दौरान सरकार द्वारा अपने उधार पर भुगतान किए गए ब्याज का औसत दर 9.46 *प्रतिशत* था ।

राजकोषीय देयताओं का स.रा.घ.उ. में उच्च अनुपात: राज्य की बकाया राजकोषीय देयताओं में 2010-11 में ₹ 30140.09 करोड़ से घटकर 2011-12 में ₹ 29608.29 करोड़ (1.76 *प्रतिशत*) हो गई । 2011-12 के दौरान ₹ 29608.29 करोड़ की राजकोषीय देयताओं में ₹ 29608.28 करोड़ की लघु बचत संग्रहण तथा ₹ 0.01 करोड़ की अन्य सहकारियों को दी गई सहकारी सहायता सम्मिलित थीं ।

राजकोषीय स्थितिः राजस्व अधिशेष एक बढ़ती हुई प्रवृत्ति को दर्शाते हुए 2007-08 में ₹ 5141.86 करोड़ से 2010-11 में ₹ 10642.36 करोड़ हो गया । लेकिन, 2011-12 के दौरान एक भारी कमी देखी जा सकती है । 2011-12 में यह ₹ 4428.31 करोड़ तक घट गया । राजकोषीय घाटा बढ़ती हुई प्रवृत्ति दिखाते हुए 2007-08 में ₹ 2040.90 करोड़ से 2009-10 में ₹ 3549.96 करोड़ हो गया । यह 2010-11 में ₹ 729.60 करोड़ के साथ धनात्मक था, किन्तु फिर यह 2011-12 में ₹ 2545.20 करोड़ के साथ पुनः ऋणात्मक क्षेत्र में आ गया ।

2 वित्तीय प्रबंधन तथा बजटीय नियंत्रण

2011-12 के दौरान, ₹ 28050.67 करोड़ के कुल अनुदान एवं विनियोजनों में से ₹ 26458.40 करोड़ का व्यय किया गया, परिणामस्वरूप ₹ 1592.27 करोड़ (5.67 प्रतिशत) की निधि अव्ययित रही । ₹ 1592.27 करोड़ की कुल बचत, राजस्व क्षेत्र के अंतर्गत ग्यारह अनुदानों एवं एक विनियोजन (लोक ऋण) में से ₹ 1261.50 करोड़ की बचत, आठ अनुदानों में ₹ 519.30 करोड़ और पूँजीगत क्षेत्र के अंतर्गत एक विनियोजन पॉच अनुदानों के अंतर्गत ₹ 188.53 करोड़ की अधिकता के परिणाम स्वरूप है ।

2011-12 के विनियोजन लेखों से यह स्पष्ट है कि 243 मामलों में, ₹ 5.00 करोड़ से (केन्द्र प्रायोजित स्कीम अनुसूचित जाति सह योजना के लिए ₹ 1 करोड़) अथवा कुल प्रावधान का 20 प्रतिशत से अधिक बचत थी । ₹ 4321.60 करोड़ की कुल बचतों के प्रति 4 अनुदानों और 1 विनियोजन से संबंधित 22 मामलों के प्रत्येक मामले में ₹ 50.00 करोड़ से अधिक, ₹ 2763.46 करोड़ (*63.94 प्रतिशत*) की बचत है ।

9 अनुदानों के 42 उप-शीर्षों में, वित्तीय वर्ष 2011-12 की समाप्ति के पहले विधान मण्डल द्वारा स्वीकृत समस्त प्रावधान विभागों द्वारा अव्ययित रहे अथवा सरकारी लेखों में जमा किए गए । समस्त प्रावधानों की बचत इस तथ्य की ओर संकेत करती है कि परियोजनाओं/योजनाओं की पर्याप्त संवीक्षा किए गए बिना अनुमानों के तैयार किया गया था । मुख्य योजनाएं जो प्रारंभ नहीं हो सकी थीं अथवा समस्त प्रावधानों का उपयोग नहीं हो पाया, उनमें शामिल थीः नगर सुधार के लिए सहायता अनुदान (₹300.93 करोड), पॉवर स्टैबिलाइजेशन फण्ड डी पी सी एल के लिए इक्विटी (₹ 200 करोड़) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में जल आपूर्ति एवं सीवेज विकास कार्यों के लिए दि.ज.बो. को (₹ 70 करोड़) सहायता अनुदान की विशेष योजना, जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अंतर्गत सड़कों के निर्माण के लिए एमसीडी को ऋण

(₹ 50.60 करोड़) और जिला एवं अन्य सड़कें-अन्य व्यय-सी आर एफ योजना (₹ 50 करोड़) । इस प्रकार उपरोक्त मदों के परिप्रेक्ष्य में बजटीय प्रावधानों की संवीक्षा की आवश्यकता थी ।

अधिक व्यय के पूर्वानुमान में 31 उपशीर्षों के अंतर्गत ₹ 118.48 करोड़ के पूरक अनुदान लिए गये थे । यद्यपि, अंतिम व्यय मूल अनुदान / विनियोजन से भी कम था । अनुचित पुनः विनियोजन अनावश्यक सिद्ध हुआ एवं 40 उपशीर्षो के अंतर्गत ₹ 211.95 करोड़ की बचत हुई ।

83 मामलों में, ₹ 134.71 करोड़ के एक समेकित व्यय को गलतरूप से राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत किया गया था ।

4 मामलों में विधान मण्डल के अनुमोदन के बगैर मद शीर्ष '33-आर्थिक सहायताएँ' में पुनर्विनियोजन के द्वारा प्रावधानों में मूल प्रावधान से 10 प्रतिशत अथवा ₹ 10 करोड़ से ज्यादा वृद्धि थी ।

3. वित्तीय प्रतिवेदन

विभिन्न अनुदानित संस्थानों से जारी ऋणों और अनुदानों के प्रति उपयोगिता प्रमाणपत्रों (उ.प्र.) को प्राप्त करने में विलंब था । मार्च 2012 के अंत में कुल 4587 अनुदानों में से, विभिन्न विभागों के ₹ 14591.62 करोड़ के 4444 उपयोगिता प्रमाणपत्र बकाया थे । 4444 उपयोगिता प्रमाणपत्रों में से ₹ 3776.49 करोड़ के 2067 उपयोगिता प्रमाणपत्र (46.51 *प्रतिशत*) पिछले 10 वर्षों के बाद भी बकाया थे ।

31 मार्च 2012 तक पाँच स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों के मार्च 2010-11 के 21 वार्षिक लेखे लेखापरीक्षा को नहीं सौपें गए । विशेष रूप से, दिल्ली बिल्डिंग और अन्य निर्माण कर्मचारी कल्याण बोर्ड, इंद्रप्रस्थ तकनीक संस्थान एवं दिल्ली शहरी आश्रय विकास बोर्ड ने अपनी स्थापना से (क्रमशः 2002-03, 2008-09 तथा 2010-11) अपने वार्षिक लेखे प्रस्तुत नहीं किए, जबकि नेताजी सुभाष तकनीक संस्थान के 2008-09 से तीन वार्षिक लेखे बकाया थे । दिल्ली जल बोर्ड ने 2006-07 से अपने पाँच लेखे प्रस्तुत नहीं किए ।